



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
मध्यप्रदेश शासन  
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

क्रमांक 554 / म.प्र.नि.वि.वि.आ. / 2019  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/ 3/ 2019

संशोधन

संचालक,  
चिकित्सा शिक्षा,  
संचालनालय, सतापुडा भवन,  
भोपाल

विषय:- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के आगामी ब्लॉक अर्थात् 2019-20 के शुल्क विनियमन की जानकारी बाबत।  
संदर्भ:- 1. कार्यालय, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र. 523/4/पीजी/संविशि/2019 दि. 05.03.19  
2. कार्यालय, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र. 608/4/पीजी/संविशि/2019 दि. 13.03.19  
3. म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पत्र क्र. 498 दि. 26.3.19

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित लेख है कि म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 26.3.19 को प्रेषित पत्र क्र. 498 दि. 26.3.19 में आंशिक संशोधन करते हुए MD Pathology की फीस के संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रेषित की जा रही है :-

पाठ्यक्रम का नाम	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क (रु. लाख में)
एल.एन.सी.टी., विश्वविद्यालय, भोपाल	
MD Pathology	11.55

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सचिव

पृ. क्रमांक 554 / म.प्र.नि.वि.वि.आ. / 2018  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 22/ 3/ 2019

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.आ. भोपाल को सूचनाार्थ
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.नि.वि.वि.आ. भोपाल को सूचनाार्थ
3. गार्ड फाईल।

सचिव